

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 109/2017

Laxman Prasad Son Of Chandrabhan Kothiyari,

----Appellant

Versus

Thaneshwar Prasad S/o Shri Ram ,

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Rohan Agarwal for Mr. Rajat Ranjan
For Respondent(s)	: Ms. Mamta Yadav

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/12/2025

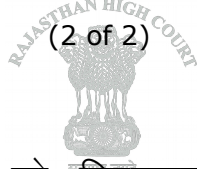
मध्यस्थता वार्ता असफल रहने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र संख्या **02/2025** अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या-1/1 सत्यवारी शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.10.2025 को होने के कारण उसके विधिक प्रतिनिधिगण 1/1/1 से 1/1/3 को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना-पत्रों पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों एवं प्रार्थना-पत्र में अंकित कारणों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना-पत्र में अंकित विधिक प्रतिनिधिगण के विरुद्ध अपीलार्थी को अपील जारी रखने का अधिकार होने से उन्हें मृतक प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1/1 के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए अभिलेख पर लिया जाता है।

संशोधित शीर्षक पूर्व से ही अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। कार्यालय उसे पत्रावली में यथोचित स्थान पर संलग्न करे।



[CSA-109/2017]

विधिक प्रतिनिधिगण को नियमानुसार आदेशिका शुल्क, नोटिस मय
अतिरिक्त प्रति पेश होने पर नोटिस जारी किए जावें

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /54